



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032025-261612
CG-DL-E-13032025-261612

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 13, 2025/फाल्गुन 22, 1946

No. 139]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 13, 2025/PHALGUNA 22, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2025

सं. 10/2025 – केंद्रीय कर

सा.का.नि. 174(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2017-केंद्रीय कर, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 609(अ), दिनांक 19 जून, 2017 के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, -

(i) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"7.	अलवर	राजस्थान राज्य में अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली- बेहरोड, भरतपुर, डीग, ढोलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर और झुंझुनू के जिले।";
-----	------	---

(ii) क्रम संख्या 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"23.	चेन्नई आउटर	तमिलनाडु राज्य में चेन्नई निगम जोन संख्या I से XV (01.04.2017 को मौजूद वार्ड संख्या 1 से 200) और सेंट थॉमस माउंट छावनी बोर्ड को छोड़कर विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, थिरुवन्नमलाई, वेल्लोर, तिरुपथुर, रानीपेट, थीरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टूर जिले और पल्लवाराम छावनी बोर्ड के अंतर्गत शामिल क्षेत्र,";
------	-------------	--

(iii) क्रम संख्या 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"49.	जयपुर	राजस्थान राज्य में जयपुर, अजमेर, व्यावर और टोंक के जिले।";
------	-------	--

(iv) क्रम संख्या 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"53.	जोधपुर	राजस्थान राज्य में जोधपुर, फलौदी, नागौर, डीडवाना-कुचामन, पाली, सिरौही, जालोर, बारमेर, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, चुरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ के जिले।";
------	--------	--

(v) क्रम संख्या 63 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"63.	मदुरै	तमिलनाडु राज्य में (वेदासंदुर तालुक के पलायम फिरका के डी. गुडालूर गांव को छोड़कर) मदुरै, रामनाथपुरम, शिवगाई, विरुधुनगर, तुतिकोरिन, तिरुनेलवेली, तेनकासी, कन्याकुमारी, तेनी, डिंडीगुल के जिले। तमिलनाडु राज्य और संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी में स्थित समुचित आधाररेखा का निकटतम बिंदु जहां ऐसे जल के नीचे राज्यक्षेत्र जल और समुद्र तल और अवमृदा है।";
------	-------	---

(vi) क्रम संख्या 100 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"100.	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु राज्य में तिरुचिरापल्ली, पेरामलूर, अरियालूर, करूर, पुदुक्कोट्टई, थंजावुर, थिरुवरूर, नागापट्टिनम, मयिलादुथुरै, कुड्डालोर जिले और डिंडीगुल जिले के वेदासंदूर तालुक के पलायम फिरका का डी. गुडालूर गांव के जिले।";
-------	---------------	---

(vii) क्रम संख्या 102 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"102.	उदयपुर	राजस्थान राज्य में उदयपुर, सलूमबर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डुंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, बारा, कोटा और झलावार के जिले।";
-------	--------	---

[फा. सं सीबीआईसी-20016/8/2025-जीएसटी]

रौशन कुमार, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 02/2017-केंद्रीय कर को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 609(अ), दिनांक 19 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 27/2024-केंद्रीय कर द्वारा संशोधित किया गया, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 729(अ), दिनांक 25 नवंबर 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2025

No. 10/2025 – Central Tax

G.S.R. 174(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 5 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 3 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 02/2017-Central Tax, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 609(E), dated the 19th June, 2017, namely: -

In the said notification, in Table, -

(i) for serial number 7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"7.	Alwar	Districts of Alwar, Khairthal-Tijara, Kotputli-Behror, Bharatpur, Deeg, Dholpur, Dausa, Karauli, Sawaimadhopur, Sikar and Jhunjhunu in the state of Rajasthan.";
-----	-------	--

(ii) for serial number 23, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"23.	Chennai Outer	Districts of Viluppuram, Kallakurichi, Thiruvannamalai, Vellore, Tirupathur, Ranipet, Tiruvallur, Kanchipuram, Chengalpattu and areas covered under Pallavaram Cantonment Board excluding Chennai Corporation Zone Nos. I to XV (from Ward No. 1 to 200 in existence as on 01.04.2017) and St. Thomas Mount Cantonment Board in the State of Tamil Nadu";
------	---------------	---

(iii) for serial number 49 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"49.	Jaipur	Districts of Jaipur, Ajmer, Beawer and Tonk in the state of Rajasthan.";
------	--------	--

(iv) for serial number 53 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"53.	Jodhpur	Districts of Jodhpur, Phalodi, Nagaur, Didwana-Kuchaman, Pali, Sirohi, Jalore, Barmer, Balotra, Jaisalmer, Bikaner, Churu, Ganganagar and Hanumangarh in the state of Rajasthan.";
------	---------	--

(v) for serial number 63, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"63.	Madurai	Districts of Madurai, Ramanathapuram, Sivagangai, Virudhunagar, Tuticorin, Tirunelveli, Tenkasi, Kanyakumari, Theni, Dindigul (except D. Gudalur Village of Palayam Firka of Vedsandur Taluk) in the State of Tamil Nadu. The territorial waters and the seabed and sub soil underlying such waters from where the nearest point of the appropriate baseline is located in the state of Tamil Nadu and the Union territory of Puducherry.";
------	---------	--

(vi) for serial number 100 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"100.	Tiruchirapalli	Districts of Tiruchirappalli, Perambalur, Ariyalur, Karur, Pudukottai, Thanjavur, Thiruvarur, Nagapattinam, Mayiladuthurai, Cuddalore, and D. Gudalur village of Palayam Firka of Vedsandur Taluk of Dindigul District in the State of Tamil Nadu.";
-------	----------------	--

(vii) for serial number 102 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"102.	Udaipur	Districts of Udaipur, Salumbar, Rajsamand, Bhilwara, Chittorgarh, Pratapgarh, Dungarpur, Banswara, Bundi, Baran, Kota and Jhalawar in the state of Rajasthan.";
-------	---------	---

[F. No. CBIC-20016/8/2025-GST]

RAUSHAN KUMAR, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 02/2017-Central Tax, was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 609(E), dated the 19th June, 2017 and was last amended by notification No. 27/2024-Central Tax, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 729(E), dated the 25th November 2024.